(7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारी:—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 20/2020 | दायर दिनांक: 07.07.2020

उनवान

1— अशोक आ० काना जाति भील निवासी ओसाव तहसील सुनेल

वादी

बनाम

1— रामकिशन आ० सीताराम जाति सुतार निवासी ओसाव तहसील सुनेल

2— मोतीलाल आ० सीताराम जाति सुतार निवासी ओसाव तहसील सुनेल

3— हरिनारायण आ० सीताराम जाति सुतार निवासी ओसाव तहसील सुनेल

4— द्वारकीवाई आ० सीताराम जाति सुतार निवासी ओसाव तहसील सुनेल

5— प्रेमचन्द आ. हरकचन्द जाति महाजन निवासी ओसाव तहसील सुनेल

6— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सुनेल

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 188, 209 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति अभिभाषकगण —

अभिभाषक वादीगण — श्री सुभाष दांगी
प्रतिवादी सं. 1 से 4 — श्री मसूद अहमद खान
प्रतिवादी सं. 5 — एकपक्षीय

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड

निर्णय | दिनांक : 09.06.2026

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि नकल जमाबन्दी ग्राम ओसाव तहसील सुनेल जिला झालावाड़ की खाता सं. 18 सम्वत 2074 से 2077 मे आराजी खसरा न. 1090 रकबा 0.1265 हेक्टेयर, खसरा न. 1092 रकबा 0.0126 हे0 खसरा न. 99 रकबा 1.8211 हे0 कुल तीन किता कुल रकबा 1.9602 हेक्टेयर वादी की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि है नकल जमाबन्दी सलग्न है। यह कि वाद के पेरा न. 1 में वर्णित वादी की खातेदारी कब्जे स्वामित्व की भूमि खसरा न. 1090 रकबा 0.1265 हेक्टयर ग्राम ओसाव के गोरव पथ से लगा

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

बाडा है जो वादी के पालतु जानवर बान्धने, गोबर की रोडी कवेलु पोश घर सहीत फसल व घास रखने के काम आता है जिस पर वादी शांतिपूर्वक काबिज है जिससे प्रतिवादीगण का कोई लेना देना नही है। यह कि वादी के खातेदारी कब्जे के उक्त खसरा न. 1090 रकबा 0.1265 हे0 के उत्तरी कोने पर वादी ने लकडी के डण्डे व तार से सीमा कर रखी थी जिसको प्रतिवादीगण ने गाली गलोच कर ताकत के बल पर जबरन वादी की उत्तरी कोने की जमीन हडपने व जबरन अतिक्रमण कर कब्जा करने की नियत से वादी के तार डण्डे खोलकर फेक दिये है तथा प्रतिवादीगण स्वयं कारीगर होने से वादी की भूमि पर बीम डालकर गेर कानूनी तरीके से अवेध दरवाजा निर्माण करने के प्रयास मे होकर वादी की भूमि को खुर्द बुर्द करने लठ के बल पर हडपने पर उतारू हो रहे हे जिसका प्रतिवादीगण को कोई कानूनी अधिकार नही है। इस कारण न्यायहीत मे प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा आदेश से रोका जाना अत्यन्त आवश्यक हो गया है। यह कि प्रतिवादीगण द्वारा वादी के साथ गाली गलोच कर जाति से अपमानित कर जान से मारने की धमकी देने व वादी की भूमि पर जबरन अतिक्रमण करने के संम्बंध मे श्रीमान थानाधिकारी रायपुर, उपअधीक्षक महोदय पिडावा तहसीलदार सुनेल को भी प्रार्थना पत्र देने व तहसीलदार साहब सुनेल द्वारा मौके पर प्रतिवादीगण को मना करने पर भी नही मान रहे हे प्रतिवादीगण दंबग लोग हे वे कहते हे कि रायपुर थाना पुलिस हमारे पक्ष मे हे हम किसी की नहीं मानेगे वादी की भूमि पर जबरन दरवाजा निर्माण कर भूमि को हडप कर रहेगे इस कारण भी प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना जरूरी हो गया है। यह कि प्रतिवादीगण दबंग लडाकु लोग होने से उन्होंने वादी की उक्त भूमि की पश्चिमी दिशा की करीब ढाई फीट चोडी व 50 फीट लम्बी भूमि पर अतिक्रमण कर अवेध दिवार निर्माण कर रहे है वादी के कवेलु पोश मकान को गिराने की नियत है वादी की भूमि में शोचालय का पानी का पाइप जबरन अवैध रूप से रख दिया है ओर अब उत्तरी कोने की भूमि पर अवेध निर्माण कर वादी की भूमि को खुर्द बुर्द कर हडपने की पूरी कोशिश मे हे जिस

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

कारण प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाना आवश्यक हैं। यह कि वादी उक्त खसरा न. 1090 रकबा 0.1265 हे० का खातेदारी टीनेन्ट कब्जेधारी स्वामी होने से प्रकरण प्रथम दृष्टया वादी के पक्ष में होकर वादी स्थायी निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण के खिलाफ पाने का अधिकारी है। यह कि वाद कारण दिनांक 01.07.2020 को उत्पन हुआ जब वादी द्वारा प्रतिवादीगण के खिलाफ उक्त कृत्य के प्रार्थन पत्र श्रीमान तहसीलदार सुनेल व पुलिस उपाधीक्षक पिडावा को देने पर भी लगातार अवेध निर्माण करने पर उतारू हो गये मौके पर रेत डालकर अवेध अतिक्रमण कर निर्माण की पूरी तैयारी करली है। दिनांक 03.07.2020 को अवेंध निर्माण जारी रखने पर एवं वादी द्वारा मना करने पर वादी व उसके परिवार के साथ गम्भीर मारपीट की गयी है। तथा मौके पर आने पर वादी को जान से मारने की धमकी दी है। इस कारण प्रकरण अर्जेन्ट प्रकृति का होकर तुरन्त सुनवायी किया जाना न्यायहीत मे है। इस कारण मजबूरन वाद माननीय न्यायालय में पेश करना पड रहा है। यह कि तहसीलदार सा० सुनेल को लेण्ड होल्डर होने व मौके पर प्रतिवादीगण द्वारा वादी की भूमि की प्रकृति व स्वरूप को बदलने व खुर्द बुर्द करने से रोकने हेतु पक्षकार बनाया गया है। यह कि वाद माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार श्रवणाधिकार मे उचित न्याय शुल्क पर अवधि मध्य पेश है। अतः दावा वादी स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की वे वादी की खाते कब्जे की भूमि खसरा न. 1090 रकबा 0.1265 हेक्टेयर के उत्तरी कोने व पश्चिम दिशा पर किसी भी प्रकार का अवेंध निर्माण जबरन अतिक्रमण दखलन्दाजी नही करे वादी के उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार से बाधा पेदा नही करे ओर ऐसा किसी अन्य से भी नही करावे। यदि दोराने वाद अवेंध अतिक्रमण निर्माण कर ले तो प्रतिवादीगण के खर्चे से हटाया जावें। अन्य न्यायोचित सहायता हर्जा खर्चा मुकदमा भी वादी को दिलावें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 की ओर सें जवाब दावा मय काउंटर

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

(10)

वकील के पेश कर निवेदन किया कि वाद का पैरा नं. 1 स्वीकार हैं। यह कि वाद का पैरा नं. 2 अस्वीकार है क्योकि वादी ने प्रतिवादीगण का आराजी खसरा नं. 1089 पर अतिक्रमण कर रोढ़ी कर रखी है। यह कि वाद का पैरा नं. 3 अस्वीकार है क्योकि प्रतिवादीगण वादी की आराजी पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं कर रहे है बल्कि वादी ने प्रतिवादीगण की आराजी खसरा नं. 1089 पर कब्जा कर रखा है और उस पर अवैध रुप से निर्माण करना चाहता है। यह कि वाद का पैरा नं. 4 अस्वीकार है क्योकि प्रतिवादीगण वादी की आराजी पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं कर रहे है बल्कि वादी ने प्रतिवादीगण की आराजी खसरा नं. 1089 पर कब्जा कर रखा है और उस पर अवैध रुप से निर्माण करना चाहता है। यह कि वाद का पैरा नं. 5 अस्वीकार है क्योकि प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 अपनी ही सीमा में बाउंड्री करना चाहते है। यह कि वाद का पैरा नं. 6 अस्वीकार है। यह कि वाद का पैरा नं. 7 अस्वीकार है। यह कि वाद का पैरा नं. 8 अस्वीकार है। यह कि वाद का पैरा नं. 9 स्वीकार है। **विशेष आपत्तिया एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 की ओर से निम्न प्रतिवाद अन्तर्गत धारा 188, 183, 209 आर.टी. एक्ट** में पेश हैं कि ग्राम ओसाव पटवार हल्का ओसाव तह० सुनेल में खाता संख्या 536 का खसरा नं. 1089 रकबा 0.1897 है० आराजी है जिस पर वादी जबरन कब्जा कर अवैध रुप से निर्माण करना चाहता है प्रतिवादीगण का खसरा नं. 1089 एवं वादी का खसरा नं. 1090 की सीमा लगी हुई है जिसकी आढ़ में वादी ने प्रतिवादी की आराजी खसरा नं. 1089 पर कब्जा कर जबरन गोबर का रोढ़ी डाल दी तथा कब्जा नहीं हटा रहा है जबकि प्रतिवादीगण ने कई बार वादी को सीमा ज्ञान करवा कर कब्जा छोड़ने की बोल दिया है लेकिन वह जाति से भील होने की वजह से एस.टी.एस.सी. एक्ट में फसाने की धमकी देकर कब्जा बनाया रख रहा है जो आवेधानिक है। यह कि दिनांक 03.07.2020 को वादी एवं उसके परिवार के सदस्यो ने प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 एवं उनके परिवार के सदस्यो के साथ गम्भीर मारपीट कर प्रतिवादीगण के खसरा नं. 1089 की आराजी पर जबरन कब्जा कर लिया है जिसे प्रतिवादीगण को वादी से दिलाया जाना

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

(11)

न्यायहित में आवश्यक है। यह कि वादी एवं उसके परिवार के सदस्यो ने प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 एवं उनके परिवार के सदस्यो के साथ गम्भीर मारपीट कर प्रतिवादीगण के खसरा नं. 1089 की आराजी पर जबरन कब्जा कर लिया है और अब वह प्रतिवादीगण की कृषि भूमि पर प्रधानमंत्री आवास के तहत ग्राम पंचायत ओसाव से मिलकर निर्माण कार्य कर रहा है इसलिए उसे स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक हो गया है। यह कि प्रतिवाद का कारण दिनांकः 17.03.2023 को उस समय उत्पन्न हुआ जब वादी माननीय न्यायालय से स्थगन आदेश होने के बाद भी निर्माण कार्य करने लग गया तो प्रतिवाद का कारण उत्पन्न हुआ। यह कि प्रतिवादीगण का प्रतिवाद माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से अवधि मध्य उचित कोर्ट फीस पर पेश है। अतः जवाब दावा मय प्रतिवाद पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद अस्वीकार किया जाकर खारीज किया जावे तथा प्रतिवादीगण का प्रतिवाद स्वीकार किया जाकर बाहक प्रतिवादीगण विरुद्ध वादी निम्न आशय की डिक्री पारित की जावे।

अ– ग्राम ओसाव पटवार हल्का ओसाव तह० सुनेल में खाता संख्या 536 का खसरा नं. 1089 रकबा 0.1897 है० आराजी पर से वादी का कब्जा हटाया जाकर प्रतिवादी संख्या 6 से पेमाईश करवा कर प्रतिवादीगण को दिलाया जावे।

ब–वादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे की वह ग्राम ओसाव पटवार हल्का ओसाव तह० सुनेल में खाता संख्या 536 का खसरा नं. 1089 रकबा 0.1897 है० एवं खसरा नं. 1090 की आराजी की पेमाईश नहीं हो जावे तब तक अवैध रुप से निर्माण कार्य प्रधानमंत्री आवास का नहीं करे।

स– अन्य न्यायोचित सहायता जो प्रतिवादीगण के पक्ष में हो दिलाई जावे।

3. प्रतिवादी सं. 5 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से मुताबिक आदेशिका दिनांक 21.10.2024 से प्रतिवादी सं. 5 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई एवं प्रतिवादी सं. 6 का जवाब अवसर बंद किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

4. प्रतिवादी सं. 1 से 4 का काउन्टर वाद का वादी द्वारा जवाबुल जवाब पेश कर निदेन किया कि ग्राम ओसाव तहसील सुनेल में खाता सं. 536 सम्वत 2074 से 2077 में आराजी खसरा न. 1089 रकबा 0.1897 हेक्टेयर, भूमि 12 खातेदरों के नाम दर्ज है जिनमें से प्रतिवादी 1 व 2 के साथ 10 और अन्य खातेदार दर्ज है जिसकी सीमा खसरा न. 1090 रकबा 0.0126 हे0 से लगी होना सही है उक्त खसरा न.1089 महाजन परिवार की खातेदारी का रहा है जिसका रास्ता उत्तर दिशा में मोजूद है लेकिन प्रतिवादीगण ने उक्त खसरा न. का दक्षिण हिस्सा उनके बाडे घर से लगा अभी खरीदा है। प्रतिवादीगण लठ ताकत के बल पर वादी की पास लगी भूमि खसरा न. 1090 पर जबरन कब्जा कर रास्ता दरवाजा निर्माण करने पर उतारू होने से वादी ने स्थायी निषेधाज्ञा वाद पेश किया है वादी की गोबर की रोड़ी वादी के खसरा न. 1090 में स्थित है प्रतिवादी की भूमि में कोई रोड़ी नहीं डाली है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी की भूमि में जोर जबरदस्ती अतिक्रमण पर उतारू होने पर वादी के प्रार्थना पत्र पर हल्का पटवारी नायब तहसीलदार की टीम द्वारा उक्त भूमि का मौका निरीक्षण कर सीमा ज्ञान निशानात मौके पर उभयपक्ष की मोजूदगी में दिनांक 26/6/2020 को करवाई जा चुकी है जिसमे प्रतिवादीगण की दीवार दरवाजा निर्माण कार्य वादी की भूमि खसरा न. 1090 में पाई जाने पर प्रतिवादीगण को निर्माण बंद करने की हिदायत दी गई थी फिर भी प्रतिवादीगण नहीं मान रहे है ओर जबरन दखलअंदाजी पर उतारू हो रहे है, जिस कारण उक्त पेरे के समस्त तथ्य झूठे, निराधार व बनावटी दर्ज होने से अस्वीकार है। यह कि उक्त पैरे के समस्त तथ्य भ्रामक, बनावटी, निराधार होने से अस्वीकार है, बल्कि प्रतिवादीगण द्वारा वादी के साथ मारपीट की गई है और वादी की भूमि को हड़पने की अवेध कोशिश में है जिसका उन्हें कोई अधिकार नही है। यह कि उक्त पेरा न. 3 में दर्ज समस्त तथ्य बनावटी व झूठे होने से अस्वीकार है वादी ने कभी भी खसरा न. 1089 पर कोई भी कब्जा नहीं किया है। वादी अपनी खातेदारी कब्जे स्वामित्व की भूमि खसरा न. 1090 रकबा 0.1265 हेक्टयर ग्राम ओसाव पर काबिज है, जिसका प्रतिवादी से कोई सम्बंध नहीं है। यह कि

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

(13)

प्रतिवाद के पेरा न. 4 में दर्ज समस्त तथ्य बनावटी व निराधार होने से अस्वीकर है प्रतिवादीगण को कोई प्रतिवाद कारण उत्पन नहीं हुआ है। यह कि उक्त पेरे के तथ्य गलत है अस्वीकार है चाही गई सहायता अब अस्वीकार है, प्रतिवादीगण कोई सहायता पाने के पात्र नहीं है। **विशेष आपत्तियाँ** – यह की प्रतिवादीगण का प्रतिवाद कतई बनावटी, आमक व झूठे तथ्यों पर होने से प्रतिवाद महज वादी को तंग परेशान करने व झूठे प्रतिवाद की आड़ में वादी की खातेदारी भूमि खसरा न. 1090 पर जबरन दखलंदाजी करने की गरज से पेश किया गया है जो चलने योग्य नहीं है। यह कि खसरा न. 1089 जो 12 खातेदारो के नाम जमाबन्दी मे दर्ज है, जिसका भी हमेशा से रास्ता उत्तर दिशा की ओर रहा है, जिसमे कैलाश चन्द का रास्ता दरवाजा उत्तर दिशा में है, उक्त खसरा न. का रास्ता कभी भी प्रतिवादी की भूमि मे होकर नहीं रहा है, जिस कारण दावा चलने योग्य नही है। यह कि प्रतिवादीगण द्वारा वादी की भूमि मे जबरन ताकत के बल पर दरवाजा निर्माण करने की कोशिश करने पर वादी ने उपखण्ड अधिकारी महोदय पिडावा को प्रार्थना पत्र दिया था जिस पर दिनांक 02.07.2020 को वादी की भूमि खसरा न. 1090 का पटवारी हल्का व नायब तहसीलदार द्वारा मौका निरिक्षण सीमाज्ञान कर निशानात कर उक्त भूमि वादी की होने से प्रतिवादीगण को दरवाजा निर्माण कार्य बन्द करने की हिदायत दी गयी है, जिससे स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण ताकत के बल पर अवैधानिक कृत्य की कोशिश में है जिसका उन्हे कोई अधिकार नही है। यह कि प्रतिवादीगण का कभी भी रास्ता वादी की भूमि मे नही रहा है, जिस कारण दावा वादी को परेशान करने की गरज से झूठा पेश किया गया है, इसलिए वादी विशेष हर्जा खर्चा 25,000/– रूपये प्रतिवादीगण से पाने का पात्र है। अतः जवाबुल जवाब मय विशेष आपत्तियों के पेश कर निवेदन है है कि प्रतिदावा मय हर्जा खर्चा खारीज फरमाया जाकर दावा वादी डिक्री किया जावे तथा विशेष हर्जा खर्चा व अन्य न्यायोचित सहायता वादी को दिलाने की कृपा करें।

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

5. वाद के शीघ्र एवं प्रभावी निस्तारण हेतु दावा, जवाब दावा एवं काउन्टर क्लेम के अवलोकन के आधार पर निम्न तनकीयात/विवाद बिन्दू कायम की गई –

तनकी नं. 1– आया कि ग्राम ओसाव की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 1090 रकबा 0.1265 है० का वादी रिकार्डेड खातेदार कृषक है। प्रतिवादीगण द्वारा बिना किसी विधिक प्राधिकार के वादग्रस्त भूमि के उत्तरी–पश्चिमी भाग पर जबरन कब्जा कर व अवैध निर्माण कर वादी के अधिकारी को अतिक्रमित किया गया है।

जिम्मे वादी

तनकी नं. 2– आया कि वादी की वादग्रस्त भूमि पर वादी के अधिकारी को प्रतिवादीगण द्वारा अतिक्रमण किये जाने से वादी को अपूरणीय क्षति कारित होगी और वाद बहुलता बढेगी।

जिम्मे वादी

तनकी नं. 3– आया कि प्रतिवादीगण द्वारा वादी की भूमि पर नहीं बल्कि स्वयं के खाते की भूमि ख०नं० 1089 पर ही निर्माण कर रहे है।

जिम्मे प्रतिवादीगण

6. वादीगण द्वारा वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में ग्राम ओसाव तहसील सुनेल के खाता सं. 18 की जमाबंदी सं. 2074–77 प्रदर्श 1, नक्शा ट्रेस दिनांक 30.08.2019 प्रदर्श 2, मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 02.07.2020 प्रदर्श 3, पुलिस उप अधीक्षक पिडावा को पेश प्रार्थना पत्र दिनांक 01.07.2020 प्रदर्श 4, ग्राम पंचायत ओसाव का प्रमाण पत्र दिनांक 21.02.2025 प्रदर्श 5 पेश की एवं मौखिक साक्ष्य में अशोक पि. काना, बीरमलाल पि. कंवरलाल, गोकुलसिंह पि. भगवानसिंह PW-1 to PW-3 के बयान लेखबद्ध कराये।

7. प्रतिवादीगण द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य में एफआईआर दिनांक 03.07.2020, श्रीमान जिला कलक्टर महोदय के नाम प्रार्थना पत्र दिनांक 17.03.2023, उपखण्ड अधिकारी पिडावा का पत्र दिनांक 22.03.2023 की छायाप्रति पेश की एवं मौखिक साक्ष्य पेश नहीं कर सीधी बहस की।

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

8. अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में तनकीवार निर्णय निम्नानुसार है–

तनकी नं. 1– आया कि ग्राम ओसाव की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 1090 रकबा 0.1265 है० का वादी रिकार्डेड खातेदार कृषक है। प्रतिवादीगण द्वारा बिना किसी विधिक प्राधिकार के वादग्रस्त भूमि के उत्तरी–पश्चिमी भाग पर जबरन कब्जा कर व अवैध निर्माण कर वादी के अधिकारी को अतिक्रमित किया गया है। उक्त तनकी को साबित करने का भार वादी पर है। वादी द्वारा पेश ग्राम ओसाव तहसील सुनेल की जमाबंदी सं. 2074–77 प्रदर्श 1 के अनुसार वादी ख.नं. 1090 रकबा 0.1265 है. का रिकार्डेड खातेदार कृषक है। प्रतिवादीगण ने अपने जवाब दावा एवं बहस में ख.नं. 1090 पर कोई हक व अधिकार नहीं होना अंकित किया है। वादी के ख.नं. 1090 के लगवा पश्चिम दिशा में प्रतिवादीगण व अन्य की शामलाती भूमि ख.नं. 1089 रकबा 0.1897 है. स्थित है जिसमें प्रतिवादीगण का हिस्सा 1/4 निहित है। अभिभाषक वादीगण का कथन है कि प्रतिवादीगण ख.नं. 1090 की मुख्य सडक से लगवा उत्तरी छोर की करीब 50 फीट लंबी व ढाई फीट चौडी भूमि पर जबरन निर्माण कर रास्ता कायम करना चाहते है और अपने शौचालय के पानी के पाईप को लगाना चाहते है जिससे ना केवल वादीगण के खातेदारी अधिकारो का हनन होगा बल्कि वादी को अपूरनीय क्षति भी कारित होगी। अभिभाषक प्रतिवादीगण का कथन है कि वादी द्वारा उनकी भूमि ख.नं. 1089 पर जबरन गोबर की रोडी डालकर कब्जा कर लिया है और बार बार कहने पर भी कब्जा नहीं हटा रहा है जिससे प्रतिवादीगण को अपूरनीय क्षति कारित हो रही है।

उभयपक्ष की बहस के परिपेक्ष्य में वादग्रस्त भूमि के नजरी नक्शा प्रदर्श 2, नायब तहसीलदार सुनेल की मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 02.07.2020 प्रदर्श 3, तहसीलदार सुनेल की मौका रिपोर्ट दिनांक 22.11.2023, वादी की डीएसपी पिडावा को पेश रिपोर्ट प्रदर्श 4, ग्राम पंचायत ओसाव की रिपोर्ट दिनांक 21.02.2025 प्रदर्श 5, तहसीलदार सुनेल की मौका कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक 17.03.2025 आदि के अवलोकन से जाहिर है कि प्रतिवादीगण द्वारा

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

वादी के ख.नं. 1090 के उत्तरी कोने पर सडक के पास दरवाजे का निर्माण कार्य किया गया था जिसे तहसीलदार सुनेल द्वारा 02.07.2020 को रूकवा दिया गया था। ग्राम पंचायत की रिपोर्ट अनुसार भी प्रतिवादीगण द्वारा वादी की भूमि की उत्तरी दिशा में निर्माण किया जाना जाहिर होता है **लेकिन मौका कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक 21.02.2025 में किसी भी पक्ष के अवैध कब्जे के संबंध में कोई अंकन नहीं किया गया है।** वादी द्वारा पेश **साक्ष्य गवाह पीडब्ल्यू 1** ने अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि प्रतिवादीगण ने ख.नं. 1089 के बजाय ख.नं. 1090 में बीम डाला है और हमारे साथ मारपीट की है। साक्ष्य गवाह **पीडब्ल्यू 3** ने अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि प्रतिवादीगण ने वादी की 0–10 बीघा जमीन में से 0–01 बीघा भूमि पर कब्जा कर रखा है। वादीगण ने प्रतिवादीगण के ख.नं. 1089 पर कब्जा नहीं कर रखा है। वादग्रस्त आराजी के चारो तरफ मकान बने होकर आबादी बसी होने के कारण राजस्व विभाग द्वारा उचित तरीके से सीमाज्ञान किया जाना मुश्किल है। किसी भी पक्षकार द्वारा सेंटलमेंट विभाग कोटा से ईटीएस मशीन से सीमाज्ञान नहीं करवाया गया है। **अतः तनकी नं. 1 आंशिक रूप से वादी के पक्ष में साबित होती है।**

तनकी नं. 2– आया कि वादी की वादग्रस्त भूमि पर वादी के अधिकारी को प्रतिवादीगण द्वारा अतिक्रमण किये जाने से वादी को अपूरणीय क्षति कारित होगी और वाद बहुलता बढेगी। उक्त तनकी को साबित करने का भार वादी पर है। तनकी नं. 1 में किये गये विवेचन के आधार पर जाहिर है कि वादी के ख.नं. 1090 के उत्तरी कोने पर प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा कर निर्माण किया जाना प्रतीत होता है लेकिन स्पष्ट साबित नहीं होता है जिससे वादी के अधिकारो का हनन होकर क्षति कारित हो सकती है। अतः तनकी नं. 2 आंशिक रूप से वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नं. 3– आया कि प्रतिवादीगण द्वारा वादी की भूमि पर नहीं बल्कि स्वयं के खाते की भूमि ख०नं० 1089 पर ही निर्माण कर रहे है। उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। तनकी नं. 1 व 2 में किये गये

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

(17)

विवेचन के आधार पर ना तो प्रतिवादीगण की संयुक्त आराजी ख.नं. 1089 पर वादी का कब्जा होना प्रतीत होता है और ना ही प्रतिवादीगण द्वारा इस संबंध में कोई दस्तावेजी या मौखिक साक्ष्य पेश किया गया है। अतः तनकी नं. 3 प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित नहीं होती है।

9. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर ग्राम ओसाव तहसील सुनेल की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 1090 के संबंध में वादी का वाद अन्तर्गत धारा 188, 209 आर.टी.एक्ट न्यायाहित में आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य एवं ख.नं. 1089 के संबंध में प्रतिवादीगण का काउन्टर वाद अन्तर्गत धारा 188, 209 आर.टी.एक्ट खारीज किये जाने योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

10. परिणामस्वरूप ग्राम ओसाव तहसील सुनेल की वादग्रस्त आराजी ख. नं. 1090 के संबंध में वादी का वाद अन्तर्गत धारा 188, 209 आर.टी.एक्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है जबकि ख.नं. 1089 के संबंध में प्रतिवादीगण का काउन्टर वाद अन्तर्गत धारा 188, 209 आर.टी.एक्ट खारीज किया जाता है। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादी के ख.नं. 1090 पर कब्जा कर अवैध निर्माण नहीं करे। वादी भी जबरन कब्जा नहीं करे। **उभयपक्ष सेटलमेंट विभाग कोटा द्वारा ईटीएस मशीन से सीमाज्ञान कराने के लिए स्वतंत्र है।** पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 09.06.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

09/6/26

(दिनेश कुमार मीणा,आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ राज0

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

18

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़(राज.)

पीठासीन अधिकारी:—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 20 / 2020 दायर दिनांक: 07.07.2020

उनवान

1— अशोक आ० काना जाति भील निवासी ओसाव तहसील सुनेल

वादी

बनाम

1— रामकिशन आ० सीताराम जाति सुतार निवासी ओसाव तहसील सुनेल
2— मोतीलाल आ० सीताराम जाति सुतार निवासी ओसाव तहसील सुनेल
3— हरिनारायण आ० सीताराम जाति सुतार निवासी ओसाव तहसील सुनेल
4— द्वारकीबाई आ० सीताराम जाति सुतार निवासी ओसाव तहसील सुनेल
5— प्रेमचन्द आ. हरकचन्द जाति महाजन निवासी ओसाव तहसील सुनेल
6— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सुनेल

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 188, 209 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति अभिभाषक —

अभिभाषक वादीगण — श्री सुभाष दांगी
प्रतिवादी सं. 1 से 4 — श्री मसूद अहमद खान
प्रतिवादी सं. 5 — एकपक्षीय

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई .....X..... रूबरू.....X.....
मिनजानित मुदई रूबरू .....X.....

ग्राम ओसाव तहसील सुनेल की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 1090 के संबंध में वादी का वाद अन्तर्गत धारा 188, 209 आर.टी.एक्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है जबकि ख.नं. 1089 के संबंध में प्रतिवादीगण का काउन्टर वाद अन्तर्गत धारा 188, 209 आर.टी.एक्ट खारीज किया जाता है। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादी के ख.नं. 1090 पर कब्जा कर अवैध निर्माण नहीं करे। वादी भी जबरन कब्जा नहीं करे। उभयपक्ष सेटलमेंट विभाग कोटा द्वारा ईटीएस मशीन से सीमाज्ञान कराने के लिए स्वतंत्र है।

09/6/20

(दिनेश कुमार मीणा,आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)।

Scanned with OKEN Scanner

(19)

निज .....X..... मुबालिक .....X..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद वशारह ..... X.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....X..... अदा करूंगा।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 09.06.2026 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड राज0

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड राज0

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज0)

Scanned with OKEN Scanner